कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2783 / FP/UK/ROAD/22249/2016 देहरादूनःदिनांकः 02 जून, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.61 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 74 / 2017 / एफ0सी0 / 1579 दिनांकः–31.10. 2022

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 5577 / 12–1 दिनांक 04.05.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.22 है0 ग्राम–जाल तल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हरतान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हरतान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.22 है0 ग्राम–जाल तल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 8,97,302.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)** तथा उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद भी कर दिया गया है। अमलदरामद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 42,37,650.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोश में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**

3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन मे एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर online gerate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रू0 8,97,302.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 42,37,650.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 51,34,952.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–2783 / FP/UK/ROAD/22249/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)।

02/6/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

o/c

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः–मान0 5577 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 04/05/2023

सेवा में, ,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08वी / यू0सी0पी0 / 06 / 74 / 2017 / एफ0सी0 / 1579 दिनांक 31–10–2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 ऊखीमठ द्वारा वन सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय निम्नानुसार उपलब्ध कराई गई है, जिसे 03 प्रतियों में अधिशीसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 के पत्र की छायाप्रति संहित प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.22 है॰ ग्राम–जाल तल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुऐ यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तानान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित होने वाली वनभूमि के बदले प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु चालान जनरेट होने के उपरान्त रु 897302.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (NEFT/RTGS प्राप्ति रशीद Date 23–03–2019 **सलंग्न** है।) व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के आदेश संख्या 3853 / छब्बीस–18 / 2018–19 दिनांक 11–06–2019 द्वारा 3.220 है॰ सिविल सोयम भूमि ग्राम–जालतल्ला में वन विभाग के नाम हस्तानान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। **(आदेश की प्रति सलंग्न है।)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी॰ दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन॰पी॰वी॰) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा N.P.V. की धनराशि रु 4237650.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (NEFT/RTGS प्राप्ति रशीद Date 23–03–2019 **सलंग्न** है।)

3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	शुद्व वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित वचनवद्धता का प्रमाण–पत्र **संलग्न कर प्रेषित हैं**
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें की जमा की गई सभी निधियॉ (CA cast, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गऐ चालान के माध्यम द्वारा उचित आनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा, क्षतिपूरक वृक्षारोण, वृक्षों का रख–रखाव व एन॰पी॰वी॰ का पूर्ण भुगतान रु 5134952.00 वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (NEFT/RTGS प्राप्ति रशीद Date 23–03–2019 **सलंग्न** है।)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा इस आशय का वचन बद्वत्ता का प्रमाण–पत्र **सलंग्न** कर प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या / दिनाँकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, गुप्तकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.
E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 3089 /13सी॰ दिनांक 22/ 11/ 2022

सेवा में,

उपवन सरंक्षक
रूद्रप्रयाग, वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषयः– *जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.61 है॰ वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।*

सन्दर्भः– *भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र संख्या 08बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/74/2017/एफ॰सी॰/1579 दिनांक 31–10–2018, आपका पत्रांक 2303/12–1 दिनांक 31–10–2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1466/13सी॰ दिनांक 18–06–2022।*

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2960/13सी॰ दिनांक 02–11–2022 द्वारा पूर्व में उपवन सरंक्षक केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को प्रेषित की गई, किन्तु स्वीकृत समरेंखण में कुछ क्षेत्र आपके वन प्रभाग से सम्बन्धित होने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.22 है॰ ग्राम–जाल तल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुऐ यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तानान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित होने वाली वनभूमि के बदले खण्ड द्वारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु चालान जनरेट होने के उपरान्त रु 897302.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (NEFT/RTGS प्राप्ति रशीद Date 31–03–2019 **सलंग्न** है।) व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के आदेश संख्या 3853/छब्बीस–18/ 2018–19 दिनांक 11–06–2019 द्वारा 3.220 है॰ सिविल सोयम भूमि ग्राम–जालतल्ला में वन विभाग के नाम हस्तानान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। **(आदेश की प्रति सलंग्न है।)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ॰सी॰ दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन॰पी॰वी॰) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा N.P.V. की धनराशि रु 4237650.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	शुद्व वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित बचनवद्धता का प्रमाण–पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 88 पर संलग्न है। **(पुनः छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित हैं)**

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें की जमा की गई सभी निधियॉं (CA cast, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गऐ चालान के माध्यम द्वारा उचित आनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी।	खण्ड द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोण, वृक्षों का रख–रखाव व एन॰पी॰वी॰ का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग व गोपेश्वर से आकलन प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया गया है। खण्ड द्वारा पूर्ण भुगतान रु 5134952.00 वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। **(सुलभ सन्दर्भ हेतु आनलाईन प्राप्त पावती रशीद सलंग्न है।)**
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉं–जहॉं सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा इस आशय का वचन बद्वत्ता का प्रमाण–पत्र **सलंग्न** कर प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयवर्णित प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः–1– एन॰पी॰वी॰ की दरों में बढोत्तरी से सम्बनधित प्रमाण–पत्र 3 सत्यापित छायाप्रतियों में।

2–मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र 3 सत्यापित छायाप्रतियों में।

3–एन॰पी॰वी॰ भुगतान की रशीद एवं Mutation आदेश 3–3 सत्यापित छायाप्रतियों में।

भवदीय,

(इं॰ मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

पत्रांक 3089 /13सी॰

दिनांक 22/11 /2022

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.
E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 3403 /13सी० दिनांक 20/12/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ, वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर।

विषयः– *जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.61 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।*

सन्दर्भः– *आपका पत्रांक 2550/12–1 गोपेश्वर, दिनांक 14–11–2022।*

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 में अधिरोपित शर्त के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का वन विभाग के पक्ष में किये गये अमलदरामद से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रति एवं शर्त संख्या–5 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण–पत्र सलंग्न कर प्रेषित है।

सलंग्नः–1. Mutation आदेश एवं अमलदरामद से सम्बन्धित अभिलेख 4–4 प्रतियों में।
2. प्रमाण–पत्र 4 प्रतियों में।

20/12/2022

(इं० मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

20.12.22

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone / Fax No–01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः-- 2550/12-1 गोपेश्वर, दिनांक 14/11/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,
ऊखीमठ।

1716/13 सी0
17-12-2022

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– आपका पत्रांक 2960/13 सी0 दिनांक 02–11–2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 ख में अधिरोपित शर्त के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का वन विभाग के पक्ष में किये गये नामान्तरण हस्तान्तरण से सम्बन्धित खसरा खतौनी की प्रति संलग्न नही है तथा शर्त संख्या 6 के अनुपालन में इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित का जानी थी कि सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। उक्त प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 3 ख एवं शर्त संख्या 6 के अनुपालन में उक्त अभिलेख /प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

वन भूमि सहायक
16/12
12-12-22

ग्राम ज्वाल तल्ला रा० उ० नि० क्षेत्र कालीमठ तहसील ऊखीमठ

खतौनी खाता की क्रम संख्या	खातेदार या काबिज का नाम, पितृनाम तथा निवासस्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल नाली मुट्ठी में	नाम तोक	
2	3	4	5	6	7	8 - 20
	श्रेणी - 6(3)(ख) 2 - जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष व झाड़ियों का समूह हो -					
			1	181=	चणनाक	
			26	621	चणनाक	आदेश :-
			69	1111=	चणनाक	मु० आ० श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के आदेश सं० 3853/छब्बीस-18/2018-19 दिनाँक रुद्रप्रयाग जून 11-2019 के द्वारा ग्राम ज्वाल तल्ला के ज० वि० र० ख० खा० सं० 7 के खसरा नम्बर 1044 रकबा 11.943 है० मध्ये 3.220 है० भूमि ज्वाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैरवानिकी कार्यों हेतु उप वनसंरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित होने पर अमल दरामद किया।
			|	|		ह० रजस्व [illegible] रा० उ० नि० कालीमठ 30/11/19
			1045	2681=	बैडुला	
			1046	1088	बैडुला	
			1073	2011=	मखवाड़ी	
	योग -		16	17661111=		

P.L. Attested

Assistant Engineer
Const.Div. P.W.D
Ukhimath (Rudrapryag)

नोट - नकल ज० वि० र० खतौनी असल से तैयार की गयी है।

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र कालीमठ
तहसील [illegible]

रा० उ० नि०
[illegible]

:: आ दे श ::

अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 ऊखीमठ द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्यो हेतु वन विभाग को दोगुने भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या–08बी0/यू0सी0पी0/06/74/2017/एफ0सी0/1579 दिनांक 31–10–2018 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त प्रकरण पर तहसीलदार ऊखीमठ ने पत्रांक–697/जाल बैण्ड–चिलौण्ड मोटर मार्ग–र0का0/2018–19 दिनांक 22 मई 2019 से अवगत कराया है कि, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कालीमठ के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जालतल्ला की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–07 के खसरा नं0– 1044 रक्वा 11.943 हे0 मध्ये 3.220 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है तथा चयनित भूमि के नक्शा, खसरा एवं खतौनी की नकल प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करने हेतु अपनी रिर्पोट प्रस्तुत की गयी है।

अतः शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–02 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार तहसीलदार ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कालीमठ के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जालतल्ला की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–07 के खसरा नं0–1044 रक्वा 11.943 हे0 मध्ये 3.220 हे0 चयनित भूमि उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ***हस्तान्तरित/नामान्तरित एवं अमलदरामद*** करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0/–
(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

Ameen
E.E.

683
13 सी0
4/07/19

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 3853 /छब्बीस–18 /2018–19 दिनांकः रुद्रप्रयागः जून 11 , 2019.

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फौरेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2– सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
6– उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।
7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को उक्तानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
8– अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 ऊखीमठ।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

P.C. Attested

Assistant Engineer
Const.Div. P.W.D
Ukhimath (Rudrapryag)

परियोजना का नामः- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.61 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो रिक्त पड़ें स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के नव निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव होगा वहाँ रिक्त पड़ें स्थानों पर वन विभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.61 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सड़क निर्माण के पश्चात जहॉं–जहॉं सम्भव हो रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के नव निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव होगा वहॉ रिक्त पडें स्थानों पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

(५१५)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-03-2019

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6122249757
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/74/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH,Rudraprayag
Amount(in Rs)	5134952/-

Amount in Words :Fifty-One Lakh Thirty-Four Thousand Nine Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896122249757 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

31 MAR 2019

Executive Engineer
Const.Div. P.W.D
Ukhimath (Rudraprayag)

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

SBIN 119090614480

forestsclearance.nic.in/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD222492016757

P.C. Attested

Assistant Engineer
Const.Div. P.W.D
Ukhimath (Rudraprayag)

com

वन

नांक

पेत

को
ति

प्रपत्र-51

परियोजना का नाम:— जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड़ से चिलौण्ड़ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन.पी.वी.की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-8

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैंण्ड़ से चिलौण्ड़ तक मोटर मार्ग के नव्र निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र 1:50,000

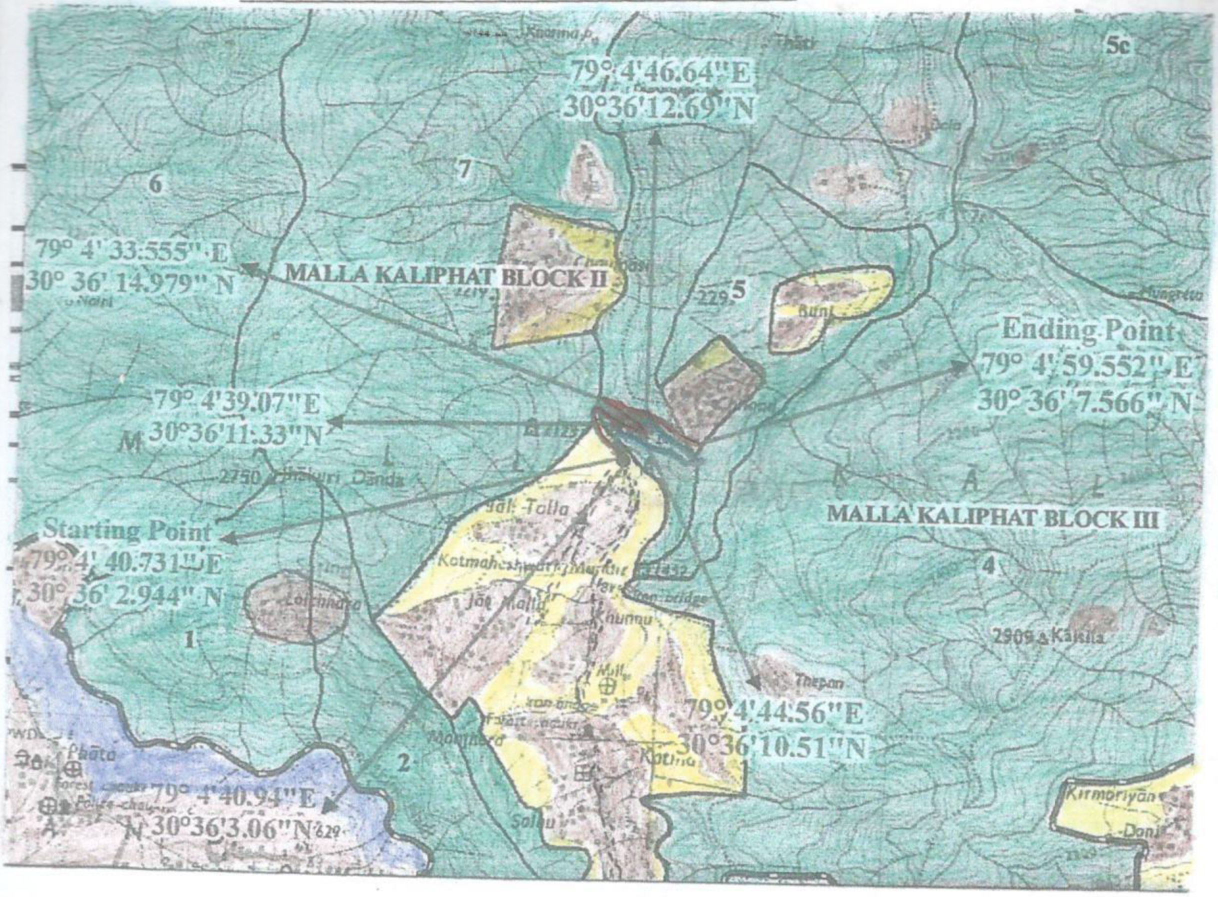

1	प्रस्तावित मोटर मार्ग	
2	वैकल्पिक संरेखण	
3	मुख्य मोटर मार्ग	
4	आरक्षित वन भूमि	
5	पंचायती वन भूमि	
6	राज्य भूमि	
7	नाप भूमि	
8	आबादी क्षेत्र	
9	नदी एंव नाला	

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक
कालीमठ

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जियोरेफरेंस मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौन्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

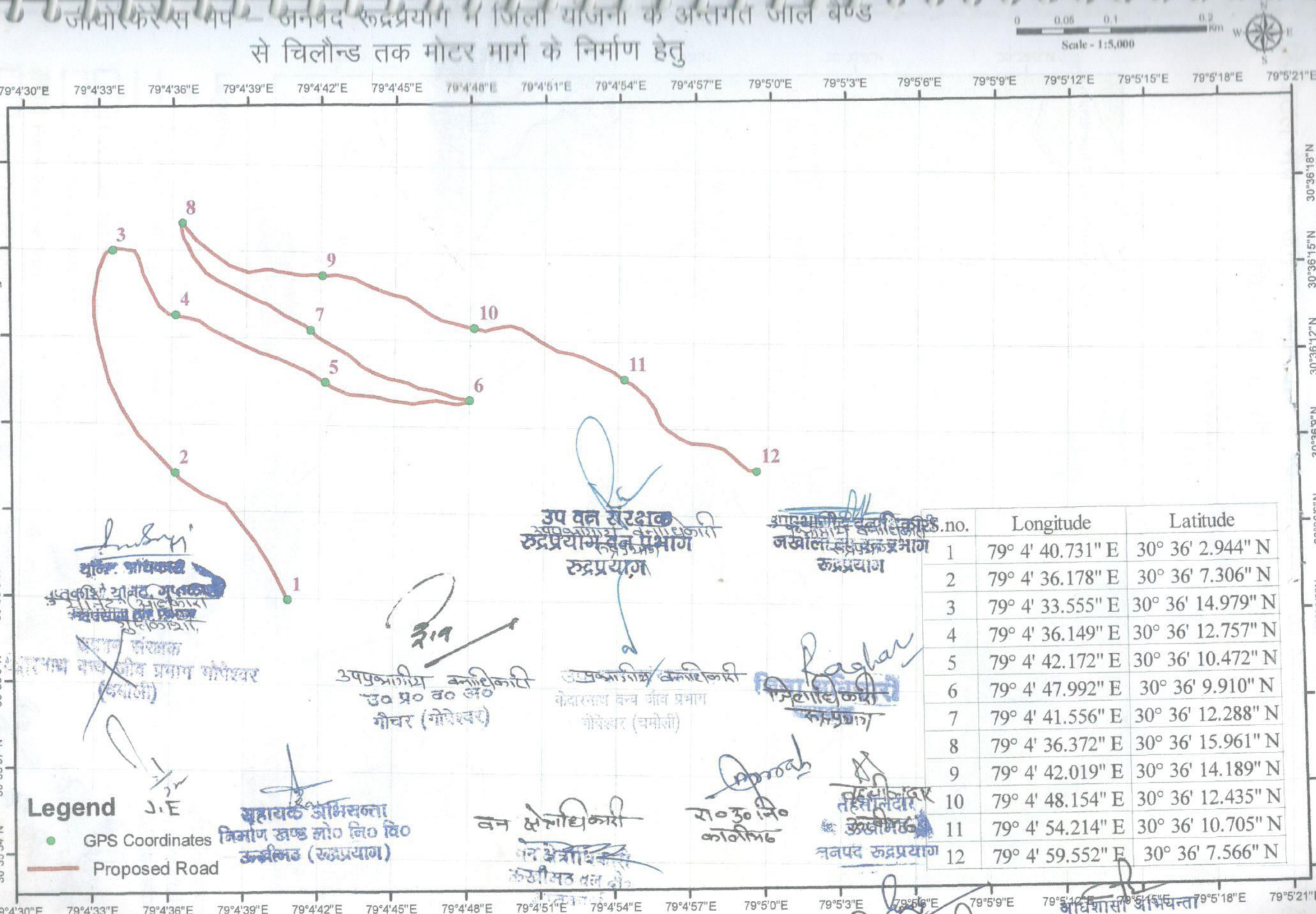

S.no.	Longitude	Latitude
1	79° 4' 40.731" E	30° 36' 2.944" N
2	79° 4' 36.178" E	30° 36' 7.306" N
3	79° 4' 33.555" E	30° 36' 14.979" N
4	79° 4' 36.149" E	30° 36' 12.757" N
5	79° 4' 42.172" E	30° 36' 10.472" N
6	79° 4' 47.992" E	30° 36' 9.910" N
7	79° 4' 41.556" E	30° 36' 12.288" N
8	79° 4' 36.372" E	30° 36' 15.961" N
9	79° 4' 42.019" E	30° 36' 14.189" N
10	79° 4' 48.154" E	30° 36' 12.435" N
11	79° 4' 54.214" E	30° 36' 10.705" N
12	79° 4' 59.552" E	30° 36' 7.566" N

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जखोली
रुद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
उ० प्र० व० अ०
गौचर (गोपेश्वर)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

पुलिस अधिकारी

वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ

रा० उ० नि०
कालीमठ

तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

(2)

डिजिटल मैप – जनपद रूद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौन्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

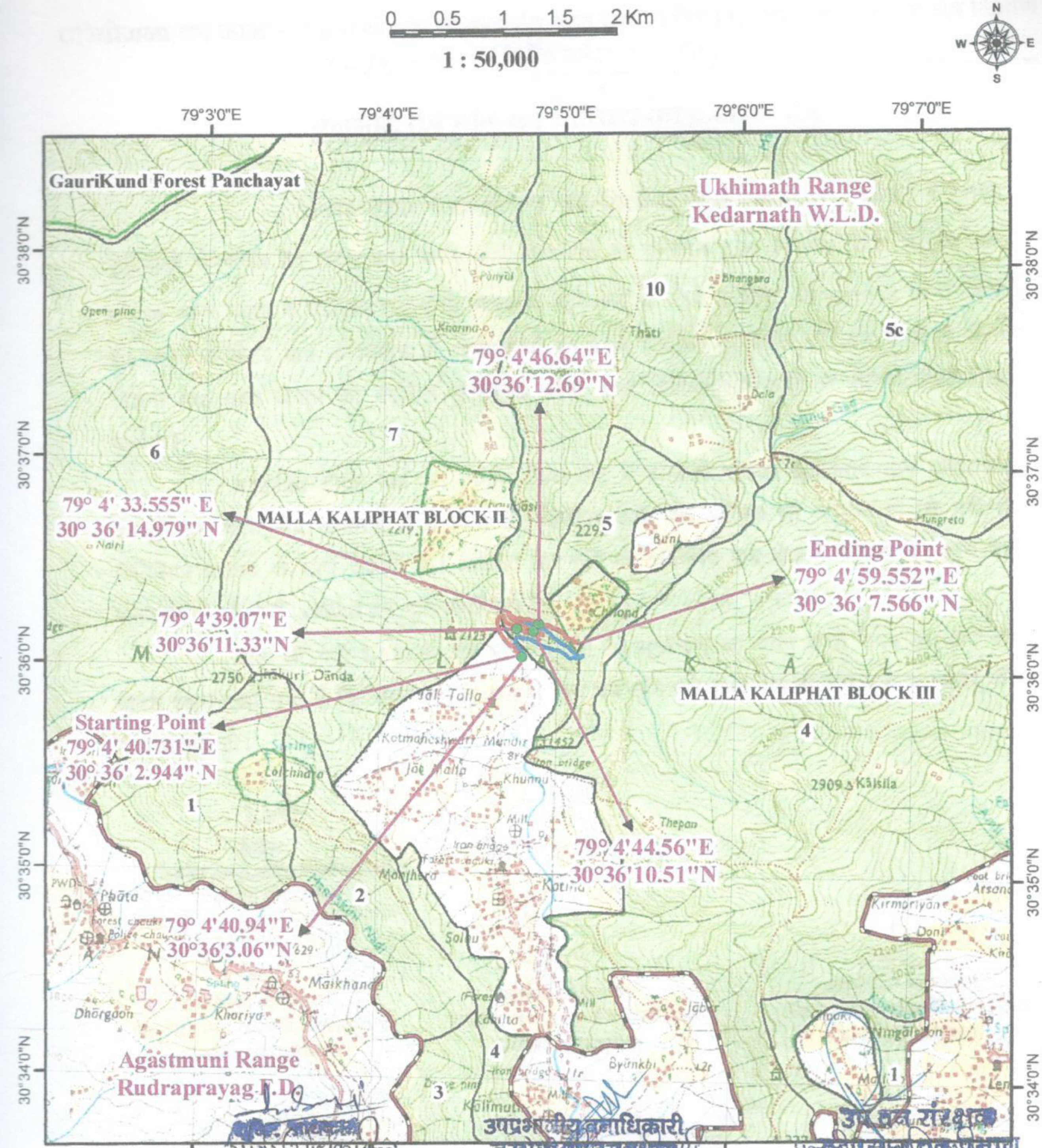

Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road
- Forest Division Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Reserve Area
- Forest Reserve Boundary

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी

आधशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

रा० ज० नि०
कालीमठ

तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रूद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ